<u>आवश्यक / समयबद्ध</u>

**प्रेषक,**

**निदेशक,**
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

**सेवा में,**

**समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,**
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: 315 /चारा/3–डी–64/श0चा0/15–16 दिनांक: 07-12-216

विषय: **नेशनल लाइव स्टाक मिशन में चारादाना विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या–83) शक्ति चालित कुट्टी काटने की मशीन उपलब्ध कराया जाना (50 प्रतिशत केन्द्रांश + 50 प्रतिशत लाभार्थी अंश) अन्तर्गत आवंटित धनराशि के <u>सापेक्ष उपयोग हेतु दिशा–निर्देश।</u>**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि पशुधन अनु0–2 के शासनादेश संख्या–111/2016/2372/सैंतीस–2–2016–1(43)2015, दिनांक 10 नवम्बर, 2016 द्वारा मानक मद 20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन) अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश के सीमान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है, जिसका आवंटन इस कार्यालय के पत्र संख्या–301/बजट/29 (5)/अनु0–83/07/2016–17, दिनांक 28.11.2016 से किया गया है। प्रश्नगत योजना में निम्न निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुये आवंटित धनराशि का व्यय एवं उपयोग करना सुनिश्चित करें।

1. योजना में शक्ति चालित कुट्टी काटने की मशीन का मूल्य रू0–20,000/–निर्धारित है। योजनान्तर्गत लाभार्थी को मशीन का वास्तविक मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा रू0 10,000/– जो भी कम होगा अनुदान दिया जायेगा। शेष मूल्य लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

2. लाभार्थी को अनुदान की धनराशि नगद नही दी जायेगी, बल्कि बैंक खाते के माध्यम से भौतिक सत्यापन के उपरान्त उपलब्ध करायी जायेगी। इस योजना का लाभ लाभार्थी को एक ही बार उपलब्ध कराया जायेगा।

3. जनपद अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के ऐसे पशुपालकों का चयन लाभार्थी के रूप में किया जायेगा, जो कम से कम 05 बड़े दुधारू पशु पालता हो, तथा लघु/सीमान्त कृषकों की श्रेणी में आता हो।

4. मशीनों का क्रय लाभार्थी द्वारा स्वयं ही किया जायेगा। मशीन क्रय करने में संबंधित फर्म को सम्पूर्ण भुगतान प्रथमतयाः लाभार्थी को स्वयं करना होगा।

5. दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुये अनु0जाति0/अनु0जन जाति के लाभार्थियों के चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। आवेदन पत्र को मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किया जायेगा, जिसका पर्यवेक्षण मुख्य पशु चिकित्साधिकारी अथवा नामित प्रतिनिधि करेंगे तथा प्राप्ति रशीद (दिनांक व समय सहित) आवेदक को प्राप्त करायेंगे।

6. लाभार्थियों का चयन जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें जिला कृषि अधिकारी सदस्य एवं मुख्य पशु चिकित्साधिकारी सदस्य/सचिव होंगे के माध्यम से किया जायेगा।

7. योजना अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि से कुल 121 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जनपदवार लक्ष्यों का निर्धारण इस कार्यालय के आवंटन पत्र संख्या–301/बजट/29(5)/अनु0–83/07/2016–17, दिनांक 28.11.2016 में परिशिष्ट 'क' के कॉलम–3 में उल्लेख किया गया है।

8. लाभार्थी द्वारा क्रय की गयी मशीन का बिल–वाउचर्स स्वयं सत्यापित कर अनुदान प्राप्त करने हेतु मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के कार्यालय में जमा किया जायेगा, तथा लाभार्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर्स की प्राप्ति रसीद मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के कार्यालय द्वारा दिनांक व समय सहित लाभार्थी को उपलब्ध कराया जायेगा।

9. मशीनों का क्रय सरकारी/अर्धसरकारी संस्थानों से ही किया जायेगा। क्रय की जाने वाली मशीनों का मानक एवं गुणवत्ता निम्न होंगे–
**"कास्ट आयरन हेतु कम्पलीट तीन रोलर के साथ आयल टैंक सहित, वी वेल्ट, 790 एम0एम0 की कास्ट आयरन व्हील, कार्बन स्टील ब्लेड नट–बोल्ट सहित, जी0पी0 शीट का परनाला, स्टैण्ड एमएस, एंगिल 55X55X2.5 एमएम एवं एमएस एंगिल 30X30X2 एमएम, 02 हार्स पावर मोटर सिंगल फेज और डबल फेज, वजन लगभग 140 किग्रा0, 02 प्रतिशत वजन प्लस/माइनस हो सकता है।"**

10. बिल–वाउचर्स प्राप्त होने तथा स्थलीय सत्यापन के पश्चात् तत्काल लाभार्थी के बैंक खाते में अनुदान की धनराशि उल्लिखित निर्देशानुसार भेज दी जाये तथा लाभार्थी को लिखित रूप से भी अवगत कराया जायेगा।

11. मशीनों के क्रय मूल्य में एकरूपता होनी चाहिए, भिन्नता की स्थिति में मुख्य पशुचिकित्साधिकारी जिम्मेदार होंगे।

12. लाभार्थी की सूची संलग्न प्रारूप पर बिल–वाउचर्स की सत्यापित प्रति संलग्न करते हुये निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय।

13. आवंटित धनराशि का शत–प्रतिशत व्यय प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष में ही किया जाना सुनिश्चित करें तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र निदेशालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

14. वित्तीय एवं भौतिक प्रगति हेतु प्रारूप संलग्न है। संलग्न प्रारूपों पर शक्ति चालित कुट्टी मशीन से लाभान्वित लाभार्थियों की सूचना निदेशालय को शीघ्र उपलब्ध करायें।

<u>संलग्न–यथोपरि।</u>

भवदीय

(डा0 राजेश बाबू वार्ष्णेय)
निदेशक
प्रशासन एवं विकास।

पत्रांक: /चारा/3–डी–64/श0चा0/15–16 दिनांक:

**प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1– समस्त अपर निदेशक, ग्रेड–।।, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ मुख्य पशुचिकित्साधिकारी से उक्त वर्णित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।
2– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
3– समस्त जिलाधिकरी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
4– प्रमुख सचिव, पशुधन, उत्तर प्रदेश, शासन, लखनऊ।

**(डा0 राजेश बाबू वार्ष्णेय)**
निदेशक
प्रशासन एवं विकास।